



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2994]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 2994]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2019

का. आ. 3273(अ).—यतः, मै0 अर्था इंफ्राटैक प्राईवेट लिमिटेड, ने उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नौएडा में आईटी/आईटीईएस (पूर्व इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं) एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1026(अ) दिनांक 11 मई, 2011 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै0 अर्था इंफ्राटैक प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके पत्र सं. 896/77-3-19-04एसईजेड/10 दिनांक 29 मई, 2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, नौएडा, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नौएडा में विशेष आर्थिक जोन में से 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 5.006754 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित प्लॉट संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम.सं.	स्थान का नाम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	टेक जोन.IV ग्रेटर नौएडा	21	5.00
कुल			5.00
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			5.006754

[फा. सं. एफ.1/1/2011-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2019

S.O. 3273(E).—Whereas, M/s. Artha Infratech Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES (formerly Electronic Hardware and Software including IT/ITES) at Greater Noida in the State of Uttar Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.006754 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 1026(E) dated 11th May, 2011;

AND, WHEREAS, M/s. Artha Infratech Private Limited has now proposed for de-notification of 5.00 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Uttar Pradesh has given its approval to the proposal vide letter No. 896/77-3-19-04 SEZ/10 dated 29th May, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 5.00 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 5.00 hectares** at Greater Noida in the State of Uttar Pradesh, thereby making the **resultant area as 5.006754 hectares**, comprising the Plot number and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of the location	Plot No.	Area (in Hectares)
1.	Tech Zone-IV, Greater Noida	21	5.00
Total			5.00
Grand Total Area of SEZ after above deletion			5.006754

[F. No. F.1/1/2011-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.